

अनुदान संख्या 1

आबकारी विभाग

[वर्ष 2010-2011 के ब्यौरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड -5 (भाग 1) के पृष्ठ संख्या 1-8 तक देखिये]
(हजार रूपयों में)

	राजस्व	पूँजी	योग
I. मूल अनुदान			
मतदेय	808350	...	808350
भारित	2000	...	2000
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है ।			
प्रथम किश्त			
मतदेय	54770	103800	158570
भारित
योग (मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	863120	103800	966920
भारित	2000	...	2000

II. लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है ।

(हजार रूपयों में)

राजस्व लेखा -----

2039- राज्य उत्पाद शुल्क

001- निदेशन तथा प्रशासन

03- अधीक्षण

01-वेतन

08-कार्यालय व्यय

10-जलकर / जल प्रभार

12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण

13-टेलीफोन पर व्यय

15-गाड़ियों का अनुरक्षण और

पेट्रोल आदि की खरीद

17-किराया, उपशुल्क और कर-

स्वामिस्व

19-विज्ञापन, बिक्री और

विख्यापन व्यय

42-अन्य व्यय

योग, 03

	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
	--	1	1
	--	12115	12115
	--	1213	1213
	--	117	117
	--	4800	4800
	--	7000	7000
	--	180	180
	--	4694	4694
	--	1700	1700
योग, 03	--	31820	31820

	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
04- जिला कार्यकारी अधिष्ठान 19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	--	6104	6104
05- भट्टियां 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	--	8500	8500
योग, 001	--	46424	46424
800- अन्य व्यय			
03- अवशेषों का भुगतान 01-वेतन	--	8346	8346
योग, 800	--	8346	8346
योग, 2039	--	54770	54770
योग, राजस्व लेखा	--	54770	54770
पूँजी लेखा -----			
4047- अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
039- राज्य उत्पाद शुल्क			
03- आबकारी विभाग का सशक्तीकरण 26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	--	103800	103800
योग, 03	--	103800	103800
योग, 039	--	103800	103800
योग, 4047	--	103800	103800
योग, पूँजी लेखा	--	103800	103800
योग, अनुपूरक	--	158570	158570

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. आबकारी विभाग के लिये सी.यू.जी. मोबाइल फोन सुविधा हेतु रूपये 20,00,000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

2. आबकारी विभाग में गोरखपुर जोन कार्यालय की स्थापना हेतु रूपये 3,12,000 की आवश्यकता ।
 3. जनपद छत्रपति शाहू जी महाराजनगर में सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय की स्थापना हेतु रूपये 1,000 की प्रतीक व्यवस्था । आवश्यकतानुसार धनराशि अनुदान के अन्तर्गत बचतों से वहन की जायेगी ।
 4. आबकारी विभाग के अधिष्ठान व्यय हेतु रूपये 2,03,57,000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
 5. आबकारी विभाग के सशक्तीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2010-2011 में उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि से लिये गये रूपये 7,50,00,000 के अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु तथा रूपये 5,29,00,000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
 6. आबकारी विभाग के सशक्तीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु विभिन्न उपकरणों के क्रय हेतु रूपये 80,00,000 की आवश्यकता ।
-